an>

Title: Need to permit arguments in High Court and Supreme Court by lawyers in Hindi.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में यह प्रावधान किया गया है कि जब तक संसद द्वारा कानून बना कर अन्यथा प्रावधान न किया जाए तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में होगी।

देश में कई ऐसे विधि महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय हैं जहां हिन्दी में विधि के छात्रों को अध्ययन कराया जाता है। उत्तरी, पश्चिमी तथा मध्य भारत के अधिकांश विधि छात्रों की भाषा का माध्यम हिन्दी ही होता है। ऐसी परिस्थिति में जब विधि के छात्र वकील का व्यवसाय अपनाते हैं और उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय में जब अपना वकील के रूप में पंजीकरण कराते हैं तो उसके बाद प्रैक्टिस में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा प्रतिभाशाली वकील होने के बावजूद भी हीनभावना आ जाने के कारण मजबूरन निचली अदालतों में वकील का व्यवसाय करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

इस संबंध में मेरी कानून मंत्री से मांग है कि उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों में हिन्दी भाषा के माध्यम से विधि स्नातक वकीलों को हिंदी में बहस करने की अनुमति मिलनी चाहिए। इससे बहुत बड़े वर्ग को लाभ प्राप्त हो सकता है। माननीय न्यायाधीश द्वारा फैसला अंग्रेजी में दिया जा सकता है और सुनाया जा सकता है, लेकिन अंग्रेजी में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में बहस की बाध्यता को खत्म करना भारत के हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए एक बहुत बड़ा लाभाकारी कदम सिद्ध होगा।